उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 1039 /सेक–2–पॉच–17–1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक : 07 मार्च, 2017

**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2– विभागीय चयन समिति की बैठक के समय त्रुटिवश डा0 अवधेश कुमार सिंह, वरिष्ठता क्रमांक–10245क के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की सूचना अंकित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति 'बंद लिफाफे' में रखी गयी थी।

3– अतः डा0 अवधेश कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित न होने के कारण पदोन्नति संबंधी 'बन्द लिफाफा' खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 अवधेश कुमार सिंह को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 सत्येन्द्र कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–10247) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 20.01.2017 से लेवल–4, संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400–67,000 ग्रेड–पे–8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– डा0 अवधेश कुमार सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या– 1039 (1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई।
7– कोषाधिकारी, हरदोई।
8– संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9– चिकित्सा अनुभाग–3।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-11/2017/270/सेक-2-पॉच--17-6(21)/2016
लखनऊ: दिनॉक: 07 मार्च,2017

**कार्यालय ज्ञाप**

डा0 रहमत अली (वरिष्ठता क्रमांक-9337), तत्कालीन ई0एम0ओ0, जिला चिकित्सालय, गोण्डा सम्प्रति ई0एम0ओ0, संयुक्त जिला चिकित्सालय, संतकबीरनगर के पत्र दिनांक 12.01.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2755-एक/चि0-3-14-1577/2014, दिनांक 24.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3540/चि-3-2016-1577/2014, दिनांक 05.01.2017 द्वारा 'परिनिन्दित' करते हुए समाप्त किया गया। अतः उनका लेवल-3 से लेवल-4 का जून, 2012 से बन्द लिफाफा खोलते हुए देय एरियर का भुगतान कराया जाय।

2- अवगत कराना है कि लेवल-3 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड के पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 06.06.2012 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में डा0 रहमत अली (वरिष्ठता क्रमांक-9337) की पदोन्नति के संबंध में विचार किया गया। डा0 रहमत अली के विरूद्ध तत्समय कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5596एक/चि-3-11-1751/2011, दिनांक 30.11.2011 के माध्यम से संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित थी, जिसके कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति "मोहर बन्द लिफाफे" में रखी गयी थी। डा0 रहमत अली के विरूद्ध उक्त लम्बित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1258/चि-3-14-1568/2014, दिनांक 16.12.2014 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी। किन्तु उनके विरूद्ध जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में तैनाती अवधि में इलाज हेतु आये मरीजों से धन उगाही किये जाने, मरीजों के साथ ठीक व्यवहार न करने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2755-एक/चि0-3-14-1577/2014, दिनांक 24.12.2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत एक अन्य विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण तत्समय उनके पदोन्नति संबंधी बन्द लिफाफा खोले जाने की कार्यवाही नहीं की गयी।

डा0 रहमत अली के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 24.12.2014 को चिकित्सा अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3540/चि0-3-2016/2014, दिनांक 05.01.2017 द्वारा उन्हें "परिनिन्दित" करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही दिनांक 24.12.2014 को समाप्त किया गया है।

3- डा0 रहमत अली की लेवल-3 से लेवल-4 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 06.06.2012 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में उनकी पदोन्नति के संबंध में चयन समिति द्वारा संस्तुत "बन्द लिफाफा" दिनांक 16.01.2017 को आहूत बैठक में चयन समिति के समक्ष खोला गया। चयन समिति द्वारा यह पाया गया कि दिनांक 06.06.2012 को आहूत विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा डा0 रहमत अली के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही की जांच में पूर्णतया निर्दोष पाये जाने पर उन्हें पदोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी है, किन्तु डा0 रहमत अली के विरूद्ध कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.12.2014 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 05.01.2017 द्वारा "परिनिन्दित" करते हुए समाप्त किया गया।

अतः चयन समिति द्वारा डा0 रहमत अली के उपलब्ध सेवा अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उन्हें लेवल-3 से लेवल-4 के पद पर पदोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी।

4- चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डा0 रहमत अली, (वरिष्ठता क्रमांक-9337) को उनके कनिष्ठ डा0 रघुवीर कुमार (वरिष्ठता क्रमांक-9338) की प्रोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। डा0 रहमत अली की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

**आलोक कुमार**
सचिव।

<u>**पृ0सं0-11/2017/270(1)/सेक-2-पॉच-17,तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।

3- निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने कां कष्ट करें।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।

5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा/संयुक्त जिला चिकित्सालय, संतकबीरनगर।

7- कोषाधिकारी, गोण्डा/संतकबीरनगर।

8- डा0 रहमत अली, ई0एम0ओ0, जिला चिकित्सालय, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

9- चिकित्सा अनुभाग-3।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**(जे0एल0 यादव)**
अनु सचिव।